राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।
संख्याः– जी–2704/जी0एस0
दिनॉकः– 20/07/2020

## नीलामी–सूचना

राजभवन लखनऊ में निष्प्रयोज्य घोषित विभिन्न प्रकार की विद्युत सामग्री की सार्वजनिक नीलामी "जहॉ है जैसा है" के आधार पर दिनॉंक–20/08/2020 को अपरान्ह 3:00 बजे स्टाफ क्लब, निकट गेट नं0–6, राजभवन, लखनऊ में की जायेगी।

नियम व शर्तें राजभवन की वेवसाइट **www.upgovernor.nic.in** पर भी देखे जा सकते हैं अथवा कार्यालय में दिनॉंक–19/08/2020 तक अपरान्ह 3:00 बजे से सॉय 5:00 बजे के मध्य प्राप्त किये जा सकते हैं।

( साधना श्रीवास्तव )
विशेष सचिव एवं वित नियंत्रक
राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

## —: नियम व शर्ते :—

1. सामग्री एक लॉट में है, जिसको नीलामी तिथि के पूर्व मौके पर देखा जा सकता है।

2. नीलामी "जहॉं है जैसा है" के आधार पर होगी।

3. नीलामी में वही व्यक्ति अथवा फर्म प्रतिभाग कर सकेंगे जो जी.एस.टी. में पंजीकृत हों।

4. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रू0 15,000/— की जमानत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रुप में जमा करनी होगी जो कि **विशेष सचिव एवं वित नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय उ0प्र0, लखनऊ** के नाम में जारी होनी चाहिए। बैंक ड्राफ्ट नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व कार्यालय समय प्रातः 11:00 बजे से सॉय 5:00 के मध्य सहायक अभियन्ता (विद्युत), राजभवन के कार्यालय में जमा कराना होगा। नीलामी में वही व्यक्ति भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा बैंक ड्राफ्ट दिनॉक—19/08/2020 तक निर्धारित समय के अन्दर जमा हो चुके होंगे। नीलामी के उपरान्त यह धनराशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करने के उपरान्त अन्य बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।

5. उच्चतम बोली दाता को तुरन्त पूर्ण धन का 25% जमा कराना होगा। अधिकतम बोली दाता द्वारा यदि निर्देशानुसार धन जमा नहीं किया जाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय अधिकतम बोली दाता के पक्ष में प्रकरण निस्तारित कर दिया जायेगा।

6. नीलामी की स्वीकृति तथा नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 का होगा, जिसमें कोई वाद मान्य न होगा।

7. नीलामी मूल्य, जिसमें नियमानुसार देय टैक्स (जी0एस0टी0 @ 18%) भी अलग से देय होगा, जिसे बोली दाता द्वारा स्वयं जमा कराकर प्राप्ति रसीद कार्यालय में जमा करानी होगी। स्वीकृति उपरान्त शेष धनराशि को डी.डी. के रुप में जो **विशेष सचिव एवं वित नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ** के पक्ष में हो के द्वारा जमा कराने के बाद समस्त सामग्री को "जहां है जैसा है" के आधार पर सात दिन के अन्दर कार्यस्थल से हटाना होगा, अन्यथा मूल्य का 2% प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अधिभार लगाया जायेगा।

8. सामग्री का निरीक्षण दिनांक 18/08/2020 एवं 19/08/2020 को अपरान्ह 3:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य सहायक अभियन्ता (विद्युत), राजभवन, लखनऊ से सम्पर्क कर किया जा सकता है।

**( साधना श्रीवास्तव )**
**विशेष सचिव एवं वित नियंत्रक**
**राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।**

**कार्यालय सहायक अभियन्ता (विद्युत)**
**राजभवन, लखनऊ**

पत्रांकः— 632/स0अ0(वि0)रा0भ0/नीलामी सूचना/2020—21 दिनांकः— 20/07/2020

**सेवा में,**

**ओ.एस.डी. (आई.टी.)/कम्प्यूटर प्रभारी,**
**राजभवन, लखनऊ।**

**विषयः—** नीलामी सूचना राजभवन की आधिकारिक वेवसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त विषयक निवेदन करना है कि राजभवन परिसर में निष्प्रयोज्य विद्युत सामग्री की सार्वजनिक नीलामी "जहॉ है जैसा है" के आधार पर की जानी है जो दिनॉक 20/08/2020 को अपरान्ह 3:00 बजे राजभवन स्टाफ क्लब के निकट सम्पन्न होगी।

अतः उक्त नीलामी से सम्बंधित सूचना प्रपत्र इस आशय से प्रेषित है कि कृपया राजभवन की आधिकारिक वेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

20/07/2020
**(प्रदीप कुमार)**
**सहायक अभियन्ता (विद्युत)**
**राजभवन, लखनऊ।**

पत्रांकः— /स0अ0(वि0)रा0भ0/नीलामी सूचना/2020—21 दिनांकः— /07/2020

**प्रतिलिपि**—विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

**सहायक अभियन्ता (विद्युत)**
**राजभवन, लखनऊ।**